

कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज ।

पत्रांक: ले.ह. /नि.वि.-1/वर्ग-1/442/2024/MACP/खंड-1/ 1427

दिनांक: 01.07.2026

कार्यालय आदेश

Modified Assured Career Progression Scheme (MACPS) के अंतर्गत निम्नलिखित प्रभागीय लेखाधिकारी ग्रेड -2 को उनके नाम के सामने अंकित तिथि से वेतन मैट्रिक्स के वेतन स्तर 7 से वेतन स्तर 8 में वित्तीय उन्नयन प्रदान करने की महालेखाकार महोदय द्वारा सहर्ष स्वीकृति दी गयी है:-

क्रम सं०	व्यक्तिगत संख्या	नाम (श्री /सुश्री)	MACP के अंतर्गत द्वितीय उन्नयन की प्रभावी तिथि ।
1.	1257	गोबिन्द कुमार त्रिपाठी	01.07.2026
2.	1278	राकेश कुमार	01.07.2026
3.	1288	अरविंद सिंह	01.07.2026
4.	1287	आलोक कुमार श्रीवास्तव	01.07.2026
5.	1263	प्रदीप कुमार	01.07.2026
6.	1261	मोहित कुमार श्रीवास्तव	01.07.2026
7.	1297	संदीप कुमार	01.07.2026
8.	1269	विकास कुमार	01.07.2026
9.	1272	अतुल कुमार सिंह	01.07.2026
10.	1335	विकास चरन गाँधी	01.07.2026
11.	1338	आभा त्रिपाठी	01.07.2026
12.	1293	मनोज कुमार	01.07.2026
13.	1312	सूर्य प्रकाश	01.07.2026
14.	1295	प्रभात रंजन श्रीवास्तव	01.07.2026
15.	1247	अभिषेक कुमार श्रीवास्तव	01.07.2026
16.	1339	रणधीर कुमार	01.07.2026
17.	1349	अमित जैन	01.07.2026
18.	1344	रोवीन गुप्ता	01.07.2026
19.	1354	आशीष कुमार सिंह	01.07.2026
20.	1350	प्रणव कुमार सिंह	01.07.2026
21.	1363	निशांत कुमार	01.07.2026
22.	1328	वाल्मीकि कुमार चौधरी	01.07.2026

2. एम.ए.सी.पी. स्कीम के अंतर्गत उपरोक्त वित्तीय उन्नयन संबंधित कर्मचारी के लिए पूर्णतः व्यक्तिगत है तथा उसकी वरिष्ठता स्थिति से इसका कोई संबंध नहीं है ।

3. नियमित पदोन्नति के समय उपलब्ध वेतन निर्धारण का लाभ एम.ए.सी.पी. स्कीम के अंतर्गत भी इस शर्त के साथ उपलब्ध है कि अधिकारी इस कार्यालय आदेश के जारी होने के एक माह के भीतर वेतन निर्धारण के लिए विकल्प प्रस्तुत कर दे ।

वरिष्ठ उप महालेखाकार /निर्माण

पत्रांक: ले.ह. /नि.वि.-1/वर्ग-1/442/2024/MACP/खंड-1/ 203-207 दिनांक: 01.07.2026

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1. सचिव, महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज ।
2. संबंधित अधिशाषी अभियंता को आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से इस अनुरोध के साथ कि वेतन निर्धारण हेतु विकल्प सम्बंधित अधिकारी/कर्मचारी से एक माह के भीतर प्राप्त कर उसे अधिकारी/कर्मचारी के वेतन निर्धारण ज्ञापन के साथ उन्नत वेतन स्तर में वेतन निर्धारण हेतु इस कार्यालय के WM-II अनुभाग को प्रेषित करें ।
3. वरिष्ठ लेखाधिकारी /निर्माण विविध-II, कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज ।
4. वरिष्ठ लेखाधिकारी /आई.टी.सी.जी., कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज को इस अनुरोध के साथ कि इस कार्यालय आदेश को ऑफिस की वेबसाइट पर अपलोड करें ।
5. सम्बंधित प्रभागीय लेखाधिकारियों को कार्यालय वेबसाइट के माध्यम से ।



वरिष्ठ लेखाधिकारी/निर्माण विविध-II